



भारतीय स्टेट बैंक

केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई

(फोन: 022-2282 0427; फैक्स: 022-2282 0411; ईमेल: crpd@sbi.co.in)

सेवानिवृत्त बैंक स्टाफ की संविदा आधार पर नियुक्ति

विज्ञापन सं. CRPD/RS/2022-23/12

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: दिनांक 15.06.2022 से 30.06.2022 तक

भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों, एसबीआई के पूर्व सहायक बैंकों (e-ABs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन करें।

- आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि को उक्त पद के लिए दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।
- उम्मीदवारों को सभी अपेक्षित दस्तावेज़ (नियतकार्य का व्यौरा, पहचान का प्रमाण, आयु का प्रमाण, अनुभव, आदि), अपलोड करना चाहिए, ऐसा न करने पर शार्टलिस्टिंग/साक्षात्कार के लिए उनके आवेदन/उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवार की उम्मीदवारी/शार्टलिस्टिंग अनंतिम होगी और उम्मीदवार के साक्षात्कार (यदि बुलाया जाए तो) के लिए रिपोर्ट किये जाने पर संपूर्ण व्यौरा/दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों के साथ संतोषजनक सत्यापन किये जाने के अधीन होगा।
- यदि किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और पात्रता मानदंडों (आयु, अनुभव, आदि) को पूरा नहीं करता है तो उसे साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार स्वयं के खर्च पर उपस्थित होंगे।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> को विवरणों एवं नई जानकारी (शॉर्टलिस्ट किए गए/योग्य उम्मीदवारों की सूची सहित) हेतु देखें। कॉल (लेटर/सूचना), जहां आवश्यक हो, केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी (कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी)।
- सभी संशोधन/शुद्धि पत्र केवल बैंक की करियर वेबसाइटों पर ही अपलोड किए जाएंगे।
- यदि अंतिम मेरिट लिस्ट (कट-ऑफ बिंदु पर समान अंक) में एक से अधिक उम्मीदवारों के कट-ऑफ अंकों के रूप में एकसमान अंक आते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट में उनकी आयु के अनुसार अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा।
- इस कार्यालय को आवेदन एवं अन्य दस्तावेजों की कागजी प्रतियाँ न भेजें।

क. पद/ग्रेड/रिक्तियाँ/उम्र/तैनाती स्थान/वेतनमान का विवरण:

पद क्र.	पद	सेवानिवृत्ति के समय ग्रेड/स्केल	रिक्त पद ^१										आयु [#]	तैनाती का स्थान@	मासिक पारिश्रमिक (एकमुश्त आधार पर और पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मासिक मुआवजा)**/ रिपोर्टिंग प्राधिकारी	
			सामान्य	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	ईडब्ल्यूएस	कुल	एलडी	वीआई	एचआई	डी एंड ई				
1	एफएलसी परामर्शदाता	एसबीआई / ई-एवी / अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के स्केल I और उससे ऊपर के सेवानिवृत्त हुए अधिकारी	85	53	34	15	20	207	2	3	2	2	15.06.22	रिक्तियों की मंडलवार सूची (एफएलसी परामर्शदाता और एफएलसी निदेशक) को न्यूनतम 60 वर्ष और अधिकतम 63 वर्ष अनुबंध-I के अनुसार संलग्न है।	सेवानिवृत्त अधिकारी का ग्रेड	देय मासिक पारिश्रमिक (नियत)
			1	JMGS-I	₹ 35,000/-											
			2	MMGS-II	₹ 40,000/-											
			3	MMGS-III	₹ 40,000/-											
			4	SMGS-IV	₹ 45,000/-											
2	एफएलसी निदेशक	एसबीआई / ई-एवी / अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के स्केल III और उससे ऊपर के सेवानिवृत्त हुए अधिकारी	3	1	--	--	--	4	--	1	--	--	63 वर्ष	रिपोर्टिंग प्राधिकारी एफएलसी परामर्शदाता के लिए स.म.प्र. (अग्रणी बैंक / आरएसईटीआई / एफएलसी/सीएफएल)	एफएलसी निदेशक के लिए स.म.प्र. (अग्रणी बैंक / आरएसईटीआई / एफएलसी/सीएफएल)	एफएलसी निदेशक के लिए स.म.प्र. (अग्रणी बैंक / आरएसईटीआई / एफएलसी/सीएफएल)
			5	SMGS-V	₹ 60,000/-											

\$ - उल्लेखित रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और बैंक की वास्तविक रिक्ति के अनुसार भिन्न हो सकती है। \$ पीडब्ल्यूडी के लिए रिक्ति क्षेत्रिज है।

- आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी जिनके लिए आरक्षण का कोई वर्णन नहीं किया गया है, वे आवेदन कर सकेंगे बशर्ते वे अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

@- अपनी आवश्यकता के अनुसार भारत में कहीं भी तैनाती करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। **सब कुछ मिलाकर मासिक पारिश्रमिक, ग्रेड पर ध्यान दिए बिना।

संक्षेपाक्षर: सामान्य- सामान्य; अ.पि.व.- अन्य पिछड़ा वर्ग; अ.जा.- अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति; ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; e-ABs - एसबीआई का पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक; पीएसबी- सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, एफएलसी - वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता, आरआरबी- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पीडब्ल्यूडी - बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार; एलडी - लर्निंग दिव्यांगता; वीआई - मंद दृष्टि, एच.आई- श्रवण दोषी; डी एंड ई- लोकोमोटर विकलांगता।

नोट:

- ऐसे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं लेकिन 'क्रीमी लेयर' से आते हैं, वे ओबीसी आरक्षण एवं आयु छूट के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्हें अपनी श्रेणी 'सामान्य' के रूप में दर्शना चाहिए।
- ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्त-पदों सहित रिक्त-पदों की संख्या अनंतिम है और यह बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है।
- बैंक किसी भी समय इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- अजा/अज्जा उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
- ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण माँगने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा जमा करवानी होगी कि वह आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर से नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर 'नॉन क्रीमी लेयर' अनुच्छेद वाला ओबीसी प्रमाण-पत्र जो 01.04.2022 से साक्षात्कार की तिथि के दौरान जारी किया गया हो, जमा करना होगा।
- पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं।
- संविदा की अवधि: न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला अधिकारी, जो भी पहले हो, प्रारंभिक संविदा 2 वर्ष की अवधि के लिए हो सकती है, जिसके बाद परामर्शदाता / निदेशक के प्रदर्शन के आधार पर इसे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के अधीन एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकता है।
- इंगित अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।
- नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्थापित (पंजीकृत) दिनांक 31.01.2019 द्वारा शासित है।
- अस्वीकरण: 'ईडब्ल्यूएस रिक्तियाँ अस्थायी हैं और भारत सरकार के अगले निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। यह नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित की जा रही। आय और संपत्ति प्रमाणपत्र के अधीन है। डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के सकल वार्षिक आय के लिए हो सकती है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के सकल वार्षिक आय के अधार पर जारी किया गया 'आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र' को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के सकल वार्षिक आय के अधार पर जारी किया गया 'आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र' को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उन्हें उपरोक्त पद के लिए बैंक में नियुक्ति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. शैक्षणिक योग्यता/आवश्यक विशिष्ट कौशल का विवरण:

क्रं.	पद	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव/आवश्यक विशिष्ट कौशल--
1	एफएलसी परामर्शदाता	शिक्षा: लागू नहीं
		अनिवार्य योग्यताएँ: चूंकि परामर्शदाताओं से वित्तीय संस्थानों से संबंधित सभी मुद्दों पर जनता को परामर्श देने की अपेक्षा की जाती है, स्थानीय भाषा में दक्षता (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) और कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक है।
		विशिष्ट आवश्यकता: सेवानिवृत्त अधिकारी के पास स्मार्ट मोबाइल फोन होना चाहिए।
2	एफएलसी निदेशक	शिक्षा: लागू नहीं
		अनिवार्य योग्यताएँ: चूंकि परामर्शदाताओं से वित्तीय संस्थानों से संबंधित सभी मुद्दों पर जनता को परामर्श देने की अपेक्षा की जाती है, स्थानीय भाषा में दक्षता (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) और कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक है।
		विशिष्ट आवश्यकता: सेवानिवृत्त अधिकारी के पास स्मार्ट मोबाइल फोन होना चाहिए।

ग. भूमिका, उत्तरदायित्व और कार्य/गतिविधि:

क्रं.	पद	भूमिका, उत्तरदायित्व और कार्य/गतिविधि:
1	एफएलसी परामर्शदाता	<ul style="list-style-type: none"> जमीनी स्तर पर विभिन्न लक्षित समूहों की पहचान करना और वित्तीय शिक्षा के अधिक केंद्रित और गहन प्रसारण के लिए एक सजातीय दर्शकों/श्रोताओं के लिए शिविर आयोजित करना। इस संबंध में बैंक/डीएफएस/एसएलबीसी/सरकारी एजेंसियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आवश्यकता आधारित शिविर आयोजित किए जा सकते हैं। प्रत्येक एफएलसी को विभिन्न लक्षित समूहों अर्थात् किसानों, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म और लघु उद्यमियों, वरिष्ठ नागरिकों, स्कूली बच्चों, अन्य के लिए शिविर आयोजित करना चाहिए, जैसा कि बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। एफएलसी को 2 डिजिटल शिविरों के साथ प्रत्येक लक्षित समूह के लिए प्रति माह एक शिविर आयोजित करना चाहिए। देश में मोबाइल फोन की बढ़ती पैठ, भुगतान और लघु वित्त बैंकों के प्रवेश, फिनेटेक संस्थाओं, खुदरा डिजिटल लेनदेनों और बढ़ती व्यवस्था आबादी के कारण प्रौद्योगिकी के उपयोग, मास मीडिया चैनलों और संचार के नवीन तरीकों जैसे ऑडियो विजुअल, डिजिटल वैन (डिजिटल वित्तीय साक्षरता ऑन व्हील्स), डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम और प्रौद्योगिकी कियोस्क आदि का उपयोग वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार के साथ-साथ डिजिटल वित्तीय साक्षरता के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए, सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रथाओं पर ज्ञान को मजबूत करने के लिए संकेंद्रित प्रयास किए जाने चाहिए। एफएलसी को ऐसे शिविरों के आयोजन से पहले पर्याप्त प्रचार करना चाहिए। कोई अन्य कार्य जो भूमिका के लिए उपयुक्त समझा गया हो।
2	एफएलसी निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> एफएलसी के प्रबंधन से संबंधित सभी मुद्दों का प्रबंधन करना। परामर्शदाताओं के कार्य-निष्पादन की तिमाही समीक्षा। सनदी लेखाकार द्वारा सोसायटी की बहियों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना। किसी भी अन्य स्थिति में भाग लेना जहां उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है, जैसा कि मंडल में एफआई विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है।

टिप्पणी: ऊपर वर्णित कार्य रूपरेखा/केआरए उदाहरण रूप में हैं। बैंक द्वारा उपर्युक्त पदों के लिए ऊपर वर्णित भूमिका/कार्य/केआरए के अलावा समय-समय पर अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं।

घ. चयन प्रक्रिया:

चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

शॉर्टलिस्टिंग: न्यूनतम योग्यता और अनुभव होने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। बैंक द्वारा गठित शॉर्टलिस्टिंग समिति शॉर्टलिस्टिंग मानदंड निर्धारित करेगी और उसके बाद बैंक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेंगे। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाये जाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

साक्षात्कार: साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में अर्हक अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

मेरिट सूची: अंतिम चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी, बशर्ते उम्मीदवार न्यूनतम अर्हता अंक हासिल करें। यदि एक से अधिक उम्मीदवार एक समान निर्दिष्ट अंक हासिल करते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों की उनकी आयु के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट रैंक प्रदान की जाएगी।

ड. साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर:

साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर/सूचना ईमेल द्वारा भेजी जाएगी या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी।

च. संविदा के लिए अन्य नियम और शर्तें (सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति)

नोटिस अवधि: बैंक/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नियुक्ति को किसी भी समय 30 दिन का नोटिस देकर या इसके बदले पारिश्रमिक का भुगतान कर सकते हैं। संविदा समाप्ति के अनुमोदन के लिए प्राधिकारी सर्किल के डीजीएम (एफआई) होंगे। यह एचआरएमएस के द्वारा ही किया जाना चाहिए।

वर्ष के दौरान छुट्टियों की संख्या: सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी एक वर्ष की नियुक्ति के दौरान 30 दिन की छुट्टी के लिए पात्र होंगे जिसे बैंक/उस प्राधिकारी के अनुमोदन से नियुक्ति की अवधि के दौरान ले सकेंगे जिसको वे रिपोर्ट करेंगे। छुट्टी की गणना के लिए बीच में पड़ने वाले रविवार/छुट्टियों को शामिल नहीं किया जायेगा। बैंक के पास प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के मद्देनजर छुट्टी के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के विवेकाधिकार का पूर्ण अधिकार होगा। नियुक्ति की अवधि के दौरान न ली गई छुट्टियों प्रायः समाप्त हो जाएगी। तथापि, यदि छुट्टी प्रशासनिक आधार पर अस्वीकार की जाती है और संविदा अवधि में नहीं ली जाती है तो इसे मौद्रिक क्षतिपूर्ति पैकेज घटक की दर से संविदा अवधि समाप्त होने पर नकदीकृत की जा सकती है। एक वर्ष से कम या अधिक की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता अनुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएगी।

छ. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों की मान्य ईमेल आईडी हो जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाए। इससे उन्हें अपना कॉल लेटर/साक्षात्कार संबंधी सूचना आदि ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने में सहायता होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशा-निर्देश:

- उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
- ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों का प्रिन्ट आउट ले लें।
- उम्मीदवारों को पहले अपना हाल का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उम्मीदवार 'दस्तावेज कैसे अपलोड करें' के अंतर्गत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर देते। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और इसे पूरी तरह से भरने के बाद सबमिट करना चाहिए। यदि उम्मीदवार आवेदन को एक बार में भर नहीं पाता है तो वह आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म को सेव कर सकता है। ऐसा करते समय प्रणाली द्वारा अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग कर आंशिक रूप से भरे एवं सेव किये हुए आवेदन को पुनः खोला जा सकता है और जरुरत हो, तो विवरण को संपादित किया जा सकता है। सेव की हुई जानकारी को संपादित करने की सुविधा केवल तीन बार ही उपलब्ध होगी। जब आवेदन पूरी तरह से भर दिया जाये तो उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म सबमिट कर देना चाहिए।

ज. प्रलेखों को अपलोड कैसे करें:

अ. अपलोड किए जाने वाले प्रलेखों का विवरण:

- पिछले 10 वर्षों के अनुभव का संक्षिप्त विवरण (नियत कार्य-वार विवरण) (पीडीएफ)
- पहचान का प्रमाण (पीडीएफ)
- जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीएफ)
- नवीनतम फोटोग्राफ़
- हस्ताक्षर
- ईडब्ल्यूएस/ जाति प्रमाण पत्र {अजा/ अज्जा/ ओबीसी (गैर क्रीमी लेयर)/ पीडब्ल्यूडी} (यदि लागू हो)
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो)

ब. फोटोग्राफ़ फाइल प्रकार/आकार:

- फोटोग्राफ़ नवीनतम पासपोर्ट स्टाइल की कलर पिक्चर होनी चाहिए.
- फाइल का आकार 20 केबी-50 केबी और आयाम 200X230 पिक्सल (अधिमानत:) तक होना चाहिए.
- यह सुनिश्चित कर लें कि फोटो रंगीन है, और सफेद या हल्के रंग की पृष्ठभूमि में लिया गया हो.
- शांत चेहरे से सीधे कंपरे की तरफ देखें.
- फोटो यदि धूप में ली गई हो तो सूरज आपके पीछे रहे या आप छाया में हों ताकि आपकी नज़र में तिरछापन न आए या फिर कोई भारी छाया न पड़े.
- यदि आपको फैलैश का प्रयोग करना होता है, तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसमें 'रेड आई' नहीं है.
- यदि आप चश्मा लगाते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई परछाई नहीं पड़ रही है और आपकी आंखें साफ देखी जा सकती हैं.
- टोपी, हैट और गहरे रंग का चश्मा लगाया जाना स्वीकार्य नहीं है। धार्मिक प्रतीक पराड़ी आदि बांध सकते हैं लेकिन इससे आपका चेहरा न ढकने पाए.
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किया गया चित्र 50 केबी से अधिक का नहीं है। फाइल का आकार यदि 50 केबी से अधिक का है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रिजोल्यूशन, कलर संख्या आदि के लिए स्कैनर की सेटिंग बदलें।

स. हस्ताक्षर फाइल का प्रकार/आकार:

- आवेदक सफेद कागज पर काली स्थाही के पैन से हस्ताक्षर करें.
- हस्ताक्षर आवेदक स्वयं करे कोई दूसरा हस्ताक्षर न करें.
- कॉल लेटर तथा जहां आवश्यक होंगे वहां आपके हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाएगा।
- फाइल का आकार 10 केबी-20 केबी के बीच का हो और आयाम 140X60 पिक्सल (अधिमानत:) हो.
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए चित्र का आकार 20 केबी से अधिक नहीं है।
- अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।

द. प्रलेख की फाइल का प्रकार/आकार:

- सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में होने चाहिए.
- प्रलेख के पेज का आकार 4 का हो।
- फाइल का आकार 500 केबी से अधिक नहीं हो।

iv. प्रलेख को यदि स्कैन किया जा रहा है तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लिया गया है और इसका आकार पीडीएफ के तौर पर 500 केबी से अधिक का नहीं है। फाइल का आकार यदि 500 केबी से अधिक का है तो स्कैनर की सेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई का रिजोल्यूशन, कलर की संख्या आदि समायोजित करें। यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किए गए प्रलेख साफ और पढ़े जाने योग्य हैं।

य. फोटो/हस्ताक्षर/प्रलेखों को स्कैन करने हेतु दिशा-निर्देश:

- स्कैनर के रिजोल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इन्च) पर रखें।
- कलर को ट्रू कलर पर सेट करें।
- फोटो/हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करके फोटो को स्कैन करें फिर फोटो को अंतिम आकार (जैसा ऊपर बताया गया है) देने के लिए क्रॉप करने हेतु अपलोड एडिटर का प्रयोग करें।
- फोटो/हस्ताक्षर की फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में हो (यानी फाइल का नाम image01.jpg या image01.jpeg दिखाई दे)
- इमेज के आयाम फोल्डर/फाइल की लिस्टिंग कर जांचे जा सकते हैं या फिर फाइल इमेज के आयकॉन पर माउस को धूमाकर इसे जांचा जा सकता है।
- जो अभ्यर्थी एमएस विन्डोज़/एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं, वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी फार्मेट में पा सकते हैं जो कि क्रमशः 50 केबी और 20 केबी से अधिक न होगी, इसके लिए एमएस पैन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करना होगा। स्कैन किया गया फोटो या हस्ताक्षर किसी भी फार्मेट से जेपीजी (jpg) फार्मेट में सेव किए जा सकते हैं। इसके लिए फाइल मेन्यू में 'सेव ऐज़' के विकल्प का प्रयोग करना होगा। इमेज मेन्यू द्वारा क्रॉप और रिसाइज़ (बिंदु 1 और 2 ऊपर देखें जो कि पिक्सल आकार के लिए दिया हुआ है) विकल्प चुनकर फाइल के आकार को 50 केबी (फोटो) और 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम कराया जा सकता है। इसी तरह से अन्य फोटो एडिटर में भी विकल्प उपलब्ध हैं।
- ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय अभ्यर्थी को एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह अपने फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कर सके।

र. प्रलेख अपलोड करने की प्रक्रिया:

- हर प्रलेख को अपलोड करने हेतु अलग से लिंक दिए गए हैं। "अपलोड" का संबंधित लिंक लिंक करें।
- ब्राउज़ करके उस जगह को चुनें जहां कि जेपीजी या जेपीईजी, पीडीएफ फाइल को सेव किया गया है।
- फाइल पर लिंक कर इसे चुनें और अपलोड का बटन लिंक करें।
- आवेदन सबमिट करने से पहले प्रलेख अपलोड हो गया है और सही तरह से खुल रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रिव्यू लिंक करें। यदि फाइल का आकार और प्रारूप बताए अनुसार नहीं है तो इसमें त्रुटी का संदेश आएगा।
- प्रलेख अपलोड हो जाने के बाद/प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद संशोधित/परिवर्तित नहीं हो सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन फार्म में फोटो/हस्ताक्षर अपलोड कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थी जांच लें कि फोटो साफ हैं और ये ठीक तरह से अपलोड हुए हैं। फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से यदि नहीं दिखें तो अभ्यर्थी अपने आवेदन को संशोधित कर सकता/सकती है और अपने फोटो या हस्ताक्षर आवेदन फार्म प्रस्तुत किए जाने से पहले फिर से अपलोड कर सकता/सकती है। फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर यदि स्पष्ट नहीं हैं तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जाएगा।

झ. सामान्य दिशानिर्देश:-

क. पात्रता मानदंड: i. भारतीय स्टेट बैंक/पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए

- अधिकारी 60 वर्ष की आयु होने पर ही बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होना चाहिए। स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त/ त्यागपत्र/ निलंबित या सेवानिवृत्ति की आयु से पहले ही बैंक छोड़ने वाले अधिकारी नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, दिनांक 07.10.2015 के परिपत्र संख्या CDO/P&HRD-PM/58/2015-16 और 05.05.2017 के परिपत्र सं. CDO/P&HRD-PM/12/ 2017-18 के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने की तारीख को 58 वर्ष की आयु और सेवा/पेंशनयोग्य सेवा के 30 वर्ष (दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए) पूरे करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर बैंक में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला अधिकारी, जो भी पहले हो, प्रारंभिक संविदा 2 वर्ष की अवधि के लिए हो सकती है, जिसके बाद परामर्शदाता / निदेशक के प्रदर्शन के आधार पर इसे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के अधीन एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकता है।
- अधिकारी के कार्यनिष्पादन का अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए और प्रणाली एवं प्रक्रियाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
- अधिकारी को सौंपे जाने वाले कार्य के लिए अपेक्षित डोमेन की विशेषज्ञता के साथ समुचित योग्यता होनी चाहिए।
- सेवाकाल के दौरान अधिकारी/ कर्मचारी की ईमानदारी संदेश नहीं होनी चाहिए।
- कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान उस पर कोई जुर्माना/ पैनलटी (सेंसर या उच्चतर) नहीं लगाई गई हो।
- कर्मचारी के विरुद्ध सीबीआई या अन्य किसी कानून प्रवर्तन एंजेंसियों के मामले लंबित नहीं होने चाहिए।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं होने चाहिए।
- साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवार अपने खर्च पर उपस्थित होंगे।
- बैंक में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त कार्य अनुभव और समग्र व्यावसायिक क्षमता होनी चाहिए।
- सेवानिवृत्त अधिकारियों को जरूरत के अनुसार विशिष्ट कौशल/ रुझान/ हुनर होना चाहिए।
- सेवानिवृत्त अधिकारियों का कार्यनिष्पादन का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की गहन जानकारी होनी चाहिए।
- अधिकारियों को सौंपे जाने वाले कार्य के लिए डोमेन विशेषज्ञता के साथ समुचित योग्यता होनी चाहिए।
- सेवानिवृत्त अधिकारी 60 वर्ष की आयु होने पर ही बैंक सेवा (अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) से सेवानिवृत्त होना चाहिए। स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त/ त्यागपत्र/ निलंबित या सेवानिवृत्ति की आयु से पहले ही बैंक (अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) छोड़ने वाले अधिकारी नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के लिए पात्र नहीं हैं।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं होने चाहिए।
- अधिकारी की शिक्षा, कार्य अनुभव और समग्र पृष्ठभूमि कार्य की अपेक्षा और सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए बैंक की मौजूदा नियुक्ति नीति की शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए। सर्किल/ वर्टिकल का एचआर विभाग सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी/ दस्तावेजों के सही/ वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।
- साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवार अपने खर्च पर उपस्थित होंगे।
- न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला अधिकारी, जो भी पहले हो, प्रारंभिक संविदा 2 वर्ष की अवधि के लिए हो सकती है, जिसके बाद परामर्शदाता / निदेशक के प्रदर्शन के आधार पर इसे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के अधीन एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

ख. सामान्य शर्तें

- नियुक्ति अवधि के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारी (नियुक्त सेवानिवृत्त) किसी अन्य संगठन से कोई कार्य स्वीकार नहीं करेंगे।
 - सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्ति अवधि के दौरान कोई प्रशासनिक / वित्तीय अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।
 - संविदा के अंतर्गत उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
 - बैंक में उनकी संविदा की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारी किसी अन्य संगठन से कोई कार्य स्वीकार नहीं करेंगे।
 - प्रमाणपत्रों का सत्यापन**
 - बैंक में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के सत्यापन सहित सम्यक तत्परता प्रक्रिया अपनाई जायेगी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में पूर्व नियोक्ता से उचित संदर्भ और रिपोर्ट अतिरिक्त रूप से मंगाई जायेगी।
 - कार्य समय:** सेवानिवृत्त अधिकारियों का सेवारत अधिकारियों की तरह सामान्य कार्य समय या जरूरत के अनुसार होगा।
 - सेवा नियम:** नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी एसबीआई अधिकारी सेवा नियम या अन्य किसी सेवा शर्त के अधीन नहीं होंगे।
 - पीएफ / बोनस / पेंशन / बकाया:** संविदा अवधि को सेवानिवृत्त लाभों/ पीएफ/ बोनस आदि के लिए सेवा नहीं माना जायेगा।
 - एचआरएमएस के जरिये निगरानी**
- क) **केन्द्रीयकृत डेटा रखना:** नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी की संपूर्ण जानकारी एचआरएमएस में दर्ज की जायेगी।
- ख) **कार्यनिष्पादन समीक्षा:** उन सेवानिवृत्त कार्मिकों के कार्यनिष्पादन का ट्रेक रखने, जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है, एक सुदृढ़ कार्यनिष्पादन समीक्षा प्रणाली होगी। सभी सेवानिवृत्त कार्मिकों की नियुक्ति का विस्तार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यनिष्पादन की समीक्षा के अधीन होगा।
- ग) **भुगतान का तरीका:** बैंक में नियुक्त किये जाने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों को एचआरएमएस में एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जायेगी, सर्किल/ वर्टिकल/ प्रयोक्ता विभाग को सुनिश्चित करना है कि कार्यग्रहण के समय संबंधित कर्मचारी एचआरएमएस में प्रासंगिक डेटा भरें। क्षतिपूर्ति और बिल, यदि कोई हो, का भुगतान एचआरएमएस के जरिये ही किया जायेगा। एचआरएमएस के बाहर कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। एचआरएमएस के जरिये मासिक पारिश्रमिक को प्रोसेस करने के लिए सभी नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए एचआरएमएस में नया वैयक्तिक नंबर सृजित किया जायेगा। नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों का एचआरएमएस द्वारा रखे गये निर्दिष्ट पोर्टल में नये वैयक्तिक नंबर के लिए आवेदन करेगा। सभी नियुक्त या नियुक्त किये जाने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए एलएचओ/ प्रयोक्ता विभाग आवश्यक सहायता की व्यवस्था करेगा।
- फोटो पहचान पत्र:** सभी नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को फोटो वाला समुचित पहचान पत्र प्रदान किया जायेगा जिस पर एचआरएमएस नंबर, नियुक्ति का संक्षिप्त व्यौरा और वैधता अवधि होगी।
- संविदा पर नियुक्ति के लिए करार का निष्पादन:** कार्य शुरू करने से पहले सेवानिवृत्त कार्मिकों को स्टाम्प पर सेवा स्तर करार (एसएलए) निष्पादित करना होगा। सेवानिवृत्त कार्मिकों को दिये जाने वाले कार्य के स्वरूप के अनुसार प्रमुख कार्यनिष्पादन मैट्रिक्स, आदि प्रयोक्ता विभाग/ वर्टिकल द्वारा अलग से निर्दिष्ट किया जायेगा।
- बैंक में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान यह संभावना है कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण या गोपनीय स्वरूप की जानकारी हासिल हो जाये। वे उनकी कार्य अवधि के दौरान प्राप्त जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे जो यह जानने/ रखने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।
- आयकर/ टीडीएस:** पारिश्रमिक पर आय कर या अन्य कोई कर देयता आयकर नियमों या अन्य किसी नियमों में वर्णित समय समय पर प्रचलित दर (रों) के अनुसार काटा जायेगा।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति:-** सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्ति अवधि के दौरान चिकित्सा या किसी अन्य लाभ की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

ग. सामान्य जानकारी:

- पद के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पद के लिए उपर्युक्त वर्णित योग्यता और अन्य मानदंडों को निर्दिष्ट तारीख को पूरा करता/करती है और कि उसके द्वारा प्रस्तुत व्यौरा सभी प्रकार से सही है।
- उम्मीदवारों को उन्हें के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें और वे अंतिम तारीख का इंतजार न करते रहें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट को लॉग ऑन करने में डिस्कनेक्शन/अक्षमता/फेलियर की स्थिति बन जाए इन्टरनेट पर हैवी लोड या फिर वेबसाइट जाम होने के कारण ऐसा हो जाए। यदि पूर्वोक्त कारणों से यदि एसबीआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से यदि अभ्यर्थी अपना आवेदन समय रहते नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एसबीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, जिनके लिए किसी आरक्षण का वर्णन नहीं किया गया है, अनारक्षित श्रेणी के लिए घोषित रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते वे अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं।
- भर्ती की किसी भी अवस्था में यदि ऐसा पता चलता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो और/या यह कि उसने गलत/झूठी जानकारी दी है या उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी (रियां) छिपाई है तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा। इनमें से यदि कोई बात उसकी नियुक्ति के बाद भी पता चलती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
- आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पूरी तरह से निर्धारित प्रारूप के अनुसार है और सही एवं पूरी तरह से भरा गया है।
- चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने के अधीन है।
- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे संप्रेषण जैसे कॉल लेटर/साक्षात्कार की तारीख की सूचना, आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल को सक्रिय रखें।
- किसी पत्र के मिलने में विलंब होने या न मिलने के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- चयन की दशा में, उम्मीदवार से अपेक्षा होगी कि वह नियुक्ति प्राप्त करते समय अपने नियोक्ता का उचित कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
- पात्रता, साक्षात्कार अन्य परीक्षाएं और चयन प्रक्रिया संबंधी के सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया जाएगा।
- आवेदन में दी गई जानकारी बाद में गलत पाए जाने पर आवेदक पर दीवानी/फौजदारी मुकदमा किया जा सकता है।
- पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करने मात्र से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का हकदार नहीं है। बैंक के पास उम्मीदवार की योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संबंध में प्रारंभिक जांच/शार्टलिस्टिंग करने के बाद उचित संख्या में ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का अधिकार सुरक्षित है।
- किसी विशेष पद के लिए कई आवेदन होने की स्थिति में, अंतिम मान्य (भरा हुआ) आवेदन को ही रखा जाएगा और अन्य पंजीकरण हेतु भुगतान किये गए आवेदन शुल्क/इन्टीमेशन शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा। साक्षात्कार में एक पद के लिए एक उम्मीदवार द्वारा एकाधिक उपस्थिति को सरसरी तौर पर पूर्णतः अस्वीकृत कर दी जाएगी/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में आए आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाहियां मात्र मुंबई और मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों पर ही की जा सकती हैं। किसी भी मुकदमे/विवाद की सुनवाई का एकल व अनन्य अधिकार क्षेत्र मुंबई ही होगा।
- बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी अवस्था में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दे।
- साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार को उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों (यदि कोई हों) का विवरण देना आवश्यक होगा। बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड के सत्यापन सहित स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है। बैंक ऐसे प्रकटीकरणों और/या सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

किसी पूछताछ के लिए, कृपया हमसे "CONTACT US" लिंक के ज़रिए लिखें,
जो कि बैंक की वेबसाइट URL - <https://bank.sbi/careers/psq.htm?action=pquery> OR
<https://sbi.co.in/careers/psq.htm?action=pquery> पर उपलब्ध है।

मंडल में FI चैनल पर रिक्तियों का विवरण

निदेशकों/परामर्शदाताओं की मंडलवार रिक्त पद निम्नानुसार है:

क्रं.	मंडल	रिक्त पद	
		निदेशक	परामर्शदाता
(i)	अहमदाबाद	0	1
(ii)	अमरावती	0	2
(iii)	बैंगलुरु	0	23
(iv)	भोपाल	0	7
(v)	भुवनेश्वर	0	6
(vi)	चंडीगढ़	0	49
(vii)	गुवाहाटी	0	59
(viii)	जयपुर	0	2
(ix)	कोलकाता	1	8
(x)	महाराष्ट्र	1	10
(xi)	नई दिल्ली	1	10
(xii)	पटना	0	4
(xiii)	तिरुवनंतपुरम्	1	26
	कुल	4	207